संख्या: 07/2017/926/12-2-2017-309/2007

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2017

विषय: प्रदेश की प्रमुख फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु आयोजित कराये जा रहे फसल कटाई प्रयोगों में कृषि विभाग के अधिकारियो/कर्मारियों की सहभागिता एवं बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थिति एवं अवलोकन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में कृपया शासनादेश संख्या: 265/12-2-2016-309/2007 दिनांक 10 फरवरी, 2017 (प्रति संलग्न) के क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश में प्रमुख फसलों पर सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से फसलों की उपज के अनुमान के साथ-साथ प्रत्येक जनपद में संचालित प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण भी किया जाता है। उक्त प्रयोगों की गुणवत्ता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा ग्राहिता सुनिश्चित करने के लिए उक्त फसल कटाई प्रयोगों में कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सहभागिता एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर अवलोकन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

2. अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने मण्डल/जनपद में खरीफ/रबी की विभिन्न फसलों पर आयोजित किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोगों में कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी (प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी) की भी सहभागिता सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया उक्त कटाई प्रयोगों से संबंधित पूर्ण विवरण जिलाधिकारी कार्यालय स्तर पर फसल कटाई की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व जनपद से संबंधित बीमा कम्पनी को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चत किया जाय ताकि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर फसल कटाई प्रयोगों के कटाई स्तर पर अवलोकन किया जा सके।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 07/2017/926(1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टॉफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता व किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सभी संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश निर्गत करें।

आज्ञा से,
(बी0 राम शास्त्री)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in